September 1, 2024

Dispute Resolution Scheme: विवाद समाधान योजना:

The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has introduced the Dispute Resolution Scheme (e-DRS), 2022, as a streamlined and efficient platform for taxpayers to resolve their income tax disputes.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं के लिए अपने आयकर विवादों को हल करने के लिए एक सुव्यवस्थित और कुशल मंच के रूप में विवाद समाधान योजना (ई–डीआरएस), 2022 पेश की है।

- Dispute Resolution Scheme aims to reduce litigation and provide a faster and more cost-effective resolution for taxpayers.
  विवाद समाधान योजना का उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और करदाताओं के लिए तेज और अधिक लागत प्रभावी समाधान प्रदान करना है।

September 1, 2024

- This initiative, established under section 245MA of the Income-tax Act, 1961, will allow taxpayers to resolve disputes electronically through Dispute Resolution Committees (DRCs).
  आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245एमए के तहत स्थापित यह पहल, करदाताओं को विवाद समाधान समितियों (डीआरसी) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवादों को हल करने की अनुमति देगी।
- Taxpayers who meet certain conditions specified in section 245MA can apply for dispute resolution.
  जो करदाता धारा 245एमए में निर्दिष्ट कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, वे विवाद समाधान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

September 1, 2024

- This includes cases where the disputed amount does not exceed 10 lakh and the taxpayer's income for the relevant year is below Rs. 50 lakh. इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां विवादित राशि 10 लाख से अधिक नहीं है और संबंधित वर्ष के लिए करदाता की आय रुपये से कम है। 50 लाख.
- The dispute must not involve information from searches or international agreements. विवाद में खोजों या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की जानकारी शामिल नहीं होनी चाहिए।
- The DRC, established in all 18 regions across the country, can modify orders, reduce penalties, or waive prosecution. They are required to decide within six months of receiving the application. देश भर के सभी 18 क्षेत्रों में स्थापित डीआरसी, आदेशों को संशोधित कर सकता है, दंड कम कर सकता है, या अभियोजन को माफ कर सकता है। उन्हें आवेदन प्राप्त होने के छह महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

September 4, 2024

Brindavan Gram Scheme and Gita Bhavan Project:

बृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजनाः

- The Madhya Pradesh government, under the leadership of Chief Minister Mohan Yadav, has approved a groundbreaking scheme named 'Brindavan Gram'. This initiative, formally announced on Janmashtami (August 26), aims to transform selected gram panchayats into model villages, focusing on cow protection and rural development.

  मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने 'बृंदावन ग्राम' नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है। जन्माष्टमी (26 अगस्त) को औपचारिक रूप से घोषित की गई इस पहल का उद्देश्य गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए चयनित ग्राम पंचायतों को मॉडल गांवों में बदलना है।

September 7, 2024

SAMRIDH Scheme: समृद्धि योजनाः

The Union Ministry of Electronics & IT secretary launched the 2nd Cohort of Startup Accelerators of MeitY for Product Innovation, Development and Growth (SAMRIDH) scheme. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव ने उत्पाद नवाचार, विकास और विकास (।डत्प्क्भ) योजना के लिए डमपजल के स्टार्टअप एक्सेलेरेटर के दूसरे समूह का शुभारंभ किया।

- SAMRIDH is the Union Ministry of Electronics & IT (MeitY) 's flagship programme for startup acceleration under the National Policy on Software Products—2019.

। डत्प्क्भ सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति–2019 के तहत स्टार्टअप त्वरण के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (डमपजल) का प्रमुख कार्यक्रम है।

September 7, 2024

- It was launched in August 2021 and supports 300 software product startups with an outlay of ₹99 crore over a period of 4 years.
  इसे अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था और यह 4 वर्षों की अवधि में ₹99 करोड़ के परिव्यय के साथ 300 सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप का समर्थन करता है।
- It aims to support existing and upcoming Accelerators to select and accelerate potential IT-based startups to scale. इसका उद्देश्य संभावित आईटी–आधारित स्टार्टअप को बड़े पैमाने पर चुनने और तेज करने के लिए मौजूदा और आगामी एक्सेलेरेटर का समर्थन करना है।

September 7, 2024

- Among others, the program focuses on accelerating the startups by providing customer connect, investors connect and connect to international markets अन्य बातों के अलावा, यह कार्यक्रम ग्राहक संपर्क, निवेशकों को जुड़ने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने की सुविधा प्रदान करके स्टार्टअप को गति देने पर केंद्रित है

CURRENT AFFAIRS

September 7, 2024

- Eligibility of Accelerator त्वरक की पात्रता
- Should be a registered Section-8/Society, [Not-for-Profit Company (eligible to hold equity)] having operations in India. एक पंजीकृत धारा–8ध्सोसाइटी, ख्नॉट–फॉर–प्रॉफिट कंपनी (इक्विटी रखने के लिए पात्र), जिसका भारत में परिचालन हो।
- The Accelerator and the team are recommended to have more than 3 years of startup experience and should have supported more than 50 start-ups of which at least 10 startups should have received investment from external Investors एक्सेलेरेटर और टीम को 3 साल से अधिक का स्टार्टअप अनुभव रखने की सलाह दी जाती है और उन्हें 50 से अधिक स्टार्ट–अप का समर्थन करना चाहिए, जिनमें से कम से कम 10 स्टार्टअप को बाहरी निवेशकों से निवेश प्राप्त होना चाहिए।

CURRENT AFFAIRS

September 7, 2024

- The Accelerator should have experience in running startup program cohorts with activities listed as desirable under the SAMRIDH program. एक्सेलेरेटर को" ।डत्प्क्भ् कार्यक्रम के तहत वांछनीय सूचीबद्ध गतिविधियों के साथ स्टार्टअप प्रोग्राम समूह चलाने का अनुभव होना चाहिए।
- It is being implemented through potential and established accelerators across India which provide services like making products market fit, business plan, investor connect and international expansion to startups plus matching funding up to ₹40 lakh by MeitY. इसे पूरे भारत में संभावित और स्थापित एक्सेलेरेटर के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जो उत्पादों को बाजार के अनुकूल बनाने, व्यवसाय योजना, निवेशक संपर्क और स्टार्टअप के लिए अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के साथ–साथ डमपजल द्वारा ₹40 लाख तक की मैचिंग फंडिंग जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

September 7, 2024

- Implemented by: The scheme is being implemented by MeitY Start-up Hub (MSH), Digital India Corporation (DIC).
  द्वारा कार्यान्वितः यह योजना डमपजल स्टार्ट–अप हब (डैभ), डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (क्प्ब) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

September 9, 2024

Sukanya Samriddhi Yojana : Changes

सुकन्या समृद्धि योजनाः बदलाव

- The government recently made changes to the rules of the Sukanya Samriddhi Yojana, which are planned to come into force from the 1st of October 2024.
  सरकार ने हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव किए हैं, जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से लागू करने की योजना है।

September 9, 2024

- New Rules: नए नियमों:
- In case of accounts opened under the guardianship of grandparents (who are other than legal guardians), the guardianship shall be transferred to a person entitled under the law in force, that is, to the natural guardian (alive parents) or Legal Guardian. If it is not done, the account will be closed and this will be a permanent closure.
  दादा–दादी (जो कानूनी अभिभावकों के अलावा अन्य हैं) की संरक्षकता के तहत खोले गए खातों के मामले में, संरक्षकता लागू कानून के तहत हकदार व्यक्ति को हस्तांतरित की जाएगी, यानी प्राकृतिक अभिभावक (जीवित माता–पिता) या कानूनी अभिभावक को। यदि ऐसा नहीं किया गया तो खाता बंद कर दिया जाएगा और यह स्थायी बंदी होगी।

September 9, 2024

- Families with more than two SSY accounts will face closures of excess accounts, deemed to be in violation of scheme rules.
  जिन परिवारों के पास दो से अधिक ै ल खाते हैं, उन्हें योजना के नियमों का उल्लंघन मानते हुए अतिरिक्त खाते बंद करने का सामना करना पड़ेगा।

September 9, 2024

- SSY : एसएसवाईः
- It is a savings scheme launched in 2015 under the Government of India's " Beti Bachao Beti Padhao" campaign, which aimed to promote the education of girl children.
  यह भारत सरकार के ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' अभियान के तहत 2015 में शुरू की गई एक बचत योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- SSY is a small-deposit scheme tailored specifically for the girl child.
  ैल एक छोटी जमा योजना है जो विशेष रूप से बालिकाओं के लिए बनाई गई है।

September 9, 2024

- This scheme enables guardians to open a savings account for their girl child with an authorised commercial bank or India Post branch.
  यह योजना अभिभावकों को अपनी बच्चियों के लिए किसी अधिकृत वाणिज्यिक बैंक या इंडिया पोस्ट शाखा में बचत खाता खोलने में सक्षम बनाती है।

September 9, 2024

- The girl must be an Indian resident.
  लड़की भारतीय निवासी होनी चाहिए।
- The account can be initiated by the parent or legal guardian of the girl child.
  खाता बालिका के माता–पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा शुरू किया जा सकता है।
- The girl child must be below the age of 10at the time of opening the account.
  खाता खोलते समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- Only one SSY account is allowed per girl child.
  प्रति बालिका केवल एक ै ल खाते की अनुमति है।

September 9, 2024

- A family is limited to opening a maximum of two SSY scheme accounts. एक परिवार अधिकतम दो ै ल योजना खाते खोलने तक सीमित है।
- NRIs are not eligible to open these accounts.
  एनआरआई ये खाते खोलने के लिए पात्र नहीं हैं।
- The girl must operate the account once she attains the age of 18 years. 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लड़की को खाता संचालित करना होगा।
- The minimum and maximum deposits that can be made in an account in a financial year are 250 and Rs.1.5 lakh, respectively. The deposits can be made in multiples of 100.
  एक वित्तीय वर्ष में किसी खाते में न्यूनतम और अधिकतम जमा क्रमशः 250 और 1.5 लाख रुपये हो सकते हैं। जमा 100 के गुणकों में किया जा सकता है।

September 9, 2024

- Deposits towards the scheme should be made for a period of 15 years. However, the scheme matures after 21 years. योजना के लिए जमा 15 वर्ष की अवधि के लिए किया जाना चाहिए। हालाँकि, योजना 21 साल बाद परिपक्व होती है।
- No interest will be payable once the account completes twenty-one years from the date of opening.
  खाता खोलने की तारीख से इक्कीस वर्ष पूरे होने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

September 9, 2024

- Withdrawal up to a maximum of 50%of the amount in the account at the end of the financial year preceding the year of application for withdrawal shall be allowed for the purpose of education of the account holder.

  खाताधारक की शिक्षा के उद्देश्य से निकासी के लिए आवेदन के वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते से अधिकतम 50: राशि तक निकासी की अनुमति दी जाएगी।

September 9, 2024

- Such withdrawal shall be allowed only after the account holder has attained the age of 18 years or has passed the 10th standard, whichever is earlier.
  ऐसी निकासी की अनुमति खाताधारक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने, जो भी पहले हो, के बाद ही दी जाएगी।

September 11, 2024

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana : 5 Year Completed

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनाः 5 वर्ष पूरे

The Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY), launched on 12th September 2019, has completed five successful years.

12 सितंबर 2019 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम–केएमवाई) ने पांच सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं।

September 11, 2024

- Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY) scheme has been started to provide social security to all landholding Small and Marginal Farmers (farmers whose land holdings are upto two hectares of land in the country).
  प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम–केएमवाई) सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसानों (देश में दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसान) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

September 11, 2024

- As of August 2024, 23.38 lakh farmers have enrolled, with Bihar and Jharkhand leading in registrations.
  अगस्त 2024 तक, 23.38 लाख किसानों ने नामांकन कराया है, जिसमें बिहार और झारखंड पंजीकरण में अग्रणी हैं।
- Uttar Pradesh, Chhattisgarh, and Odisha have over 2.5 lakh, 2 lakh, and 1.5 lakh farmer registrations, respectively.
  उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख से अधिक किसान पंजीकरण हैं।

September 11, 2024

- This widespread participation highlights increasing awareness and growing adoption of the scheme among small and marginal farmers, reflecting its importance in ensuring financial stability for this vulnerable segment.

  यह व्यापक भागीदारी छोटे और सीमांत किसानों के बीच बढ़ती जागरूकता और योजना को अपनाने पर प्रकाश डालती है, जो इस कमजोर वर्ग के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में इसके महत्व को दर्शाती है।

September 12, 2024

Cabinet Approves PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM) Scheme: कैबिनेट ने पीएम–ईबस सेवा–भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना को मंजूरी दी:

- The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM) scheme with a budget of INR 3,435.33 crore. This initiative is designed to promote the deployment and operation of electric buses (e-buses) by Public Transport Authorities (PTAs) from FY 2024-25 to FY 2028-29 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,435.33 करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम–ईबस सेवा–भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना को मंजूरी दे दी है। यह पहल वित्त वर्ष 2024–25 से वित्त वर्ष 2028–29 तक सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए) द्वारा इलेक्ट्रिक बसों (ई–बसों) की तैनाती और संचालन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है।

CURRENT AFFAIRS

September 12, 2024

PM E-DRIVE Scheme: पीएम ई–ड्राइव योजनाः

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister of India has approved the proposal of the Ministry of Heavy Industries (MHI) for the implementation of a scheme titled PM E-DRIVE Scheme'.

भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'पीएम ई–ड्राइव योजना' नामक योजना के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

CURRENT AFFAIRS

September 12, 2024

- PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) scheme has an outlay of Rs 10,900 crore over a period of two years for the promotion of electric mobility in the country.
  पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई–ड्राइव) योजना में देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

September 12, 2024

- Components of the scheme योजना के घटक
- The scheme allocates Rs 3,679 crore to incentivise the purchase of electric two-wheelers (e-2Ws), three-wheelers (e-3Ws), electric ambulances, trucks, and other emerging EV categories. यह योजना इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई–2डब्ल्यू), थ्री–व्हीलर (ई–3डब्ल्यू), इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस, ट्रक और अन्य उभरती ईवी श्रेणियों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपये आवंटित करती है।

September 12, 2024

- Buyers of electric vehicles will be issued an e-voucher under the scheme to avail demand incentives. The e-voucher will be Aadhaar-authenticated and sent to the buyer's registered mobile number after the purchase. मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को एक ई–वाउचर जारी किया जाएगा। ई–वाउचर आधार–प्रमाणित होगा और खरीदारी के बाद खरीदार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

CURRENT AFFAIRS

September 12, 2024

- A budget of Rs 500 crore has been allocated to deploy electric ambulances. This new initiative aims to provide comfortable and environmentally friendly patient transport.
  इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस तैनात करने के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस नई पहल का उद्देश्य रोगी को आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रदान करना है।
- Under this component Rs 500 crore has been allocated to promote the deployment of e-trucks, a major contributor to air pollution.
- इस घटक के तहत वायु प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ता ई–ट्रकों की तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

September 12, 2024

- Those who hold a scrapping certificate from authorised MoRTH Vehicle Scrapping Centres (RVSFs) will be eligible for the incentives.
  जिनके पास अधिकृत डवत्ज्भ वाहन स्क्रैपिंग सेंटर (त्टैथ) से स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र है, वे प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

September 12, 2024

- To address range anxiety and support the growth of electric vehicles, Rs 2,000 crore will be used to install public charging stations (EVPCS) in cities with high EV penetration and along selected highways. रेंज की चिंता को दूर करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि का समर्थन करने के लिए, उच्च ईवी पहुंच वाले शहरों और चयनित राजमार्गों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा।

September 12, 2024

PM Surya Ghar—Muft Bijli Yojana:पीएम सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजनाः

The Ministry of New and Renewable Energy has come up with draft guidelines for the central financial assistance and payment security mechanism for the PM Surya Ghar—Muft Bijli Yojana.

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पीएम सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता और भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए मसौदा दिशानिर्देश लेकर आया है।

- The union cabinet approved the Rs 75,000 crore PM Surya Ghar—Muft Bijli Yojana to benefit 1 crore families in February 2024.

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2024 में 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 75,000 करोड़ रुपये की पीएम सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी।

September 12, 2024

- The draft guidelines have been issued under the renewable energy services company (RESCO) model and utility led asset (ULA) model of the rooftop solar scheme—'PM Surya Ghar—Muft Bijli Yojana'.
  मसौदा दिशानिर्देश नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) मॉडल और रूफटॉप सौर योजना–'पीएम सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना' के उपयोगिता आधारित परिसंपत्ति (यूएलए) मॉडल के तहत जारी किए गए हैं।
- Renewable Energy Services Company (RESCO) Model: RESCO develops and owns the rooftop solar system installed on the consumer's rooftop for at least five years.
  नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (रेस्को) मॉडलः रेस्को कम से कम पांच वर्षों के लिए उपभोक्ता की छत पर स्थापित रूफटॉप सौर प्रणाली का विकास और स्वामित्व रखती है।

September 12, 2024

- The RESCO also makes all the operational expenditures required for the maintenance of the plant, as needed.
  रेस्को आवश्यकतानुसार संयंत्र के रखरखाव के लिए आवश्यक सभी परिचालन व्यय भी करता है।
- Customers pay the RESCO for the electricity generated and receive net metering benefits on their electricity bill.
  ग्राहक उत्पादित बिजली के लिए रेस्को को भुगतान करते हैं और अपने बिजली बिल पर नेट मीटरिंग लाभ प्राप्त करते हैं।

September 12, 2024

- The RESCO may enter into an arrangement with a distribution company (discom) for the sale of generated power to the grid under a power purchase agreement.
  त्रैम्ब्ट एक बिजली खरीद समझौते के तहत ग्रिड को उत्पन्न बिजली की बिक्री के लिए एक वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के साथ एक व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है।

September 12, 2024

- Utility led Asset (ULA) Model: Under it, a state discom owns the rooftop solar systems for the project period of at least of five years, after which the ownership is transferred to the household.
  यूटिलिटी एलईडी एसेट (न्स-।) मॉडलः इसके तहत, एक राज्य डिस्कॉम कम से कम पांच साल की परियोजना अवधि के लिए छत पर सौर प्रणाली का मालिक होता है, जिसके बाद स्वामित्व घर में स्थानांतरित हो जाता है।

September 12, 2024

- PM Surya Ghar-Muft Bijli Yojana:
  पीएम सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजनाः
- It is a central scheme to promote the adoption of solar rooftop systems by providing substantial financial subsidies and ensuring ease of installation.
  यह पर्याप्त वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके और स्थापना में आसानी सुनिश्चित करके सौर छत प्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा देने की एक केंद्रीय योजना है।

September 12, 2024

- It aims to provide free electricity to one crore households in India, who opt to install roof top solar electricity units.
  इसका लक्ष्य भारत में एक करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो छत पर सौर बिजली इकाइयाँ स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं।
- The households will be able to get 300 units of electricity free every month.
  परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी.

September 17, 2024

NPS Vatsalya Scheme: एनपीएस वात्सल्य योजनाः

- The NPS Vatsalya Scheme, announced in the Union Budget 2024-25, will be launched by Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman on September 18, 2024, in New Delhi. This initiative allows parents to invest in pension accounts for their children with flexible contributions starting at Rs. 1,000 annually, offering long-term wealth building through compounding.

  केंद्रीय बजट 2024–25 में घोषित एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्री श्रीमती द्वारा शुरू की जाएगी। 18 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में निर्मला सीतारमण। यह पहल माता–पिता को अपने बच्चों के लिए पेंशन खातों में रुपये से शुरू होने वाले लचीले योगदान के साथ निवेश करने की अनुमति देती है। 1,000 सालाना, कंपाउंडिंग के माध्यम से दीर्घकालिक धन निर्माण की पेशकश।

CURRENT AFFAIRS

September 17, 2024

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-IV: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–प्टः

The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana – IV (PMGSY-IV) for the period 2024-25 to 2028-29, aiming to enhance rural connectivity by constructing 62,500 km of new all-weather roads.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024–25 से 2028–29 की अवधि के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना – प्ट (च्डळैल–प्ट) को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य 62,500 किलोमीटर नई सभी मौसम वाली सड़कों का निर्माण करके ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।

September 17, 2024

- The initiative will connect 25,000 unconnected habitations with populations of over 500 in plains, over 250 in Northeast and hill states, and over 100 in Left Wing Extremism (LWE)-affected districts.
  यह पहल मैदानी इलाकों में 500 से अधिक, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 250 से अधिक और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ेगी।

September 17, 2024

- The new roads are expected to catalyse socio-economic development in remote rural areas and improve access to educational, health, market, and growth centres.
  नई सड़कों से दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने और शैक्षिक, स्वास्थ्य, बाजार और विकास केंद्रों तक पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है।
- The scheme is designed to create 40 crore human-days of work employment.
  यह योजना 40 करोड़ मानव दिवस कार्य रोजगार सृजित करने के लिए बनाई गई है।

September 17, 2024

- PMGSY is a central government scheme launched in 2000 to provide all-weather road connectivity to unconnected rural habitations.
  पीएमजीएसवाई एक केंद्र सरकार की योजना है जो 2000 में असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

September 17, 2024

- The scheme was originally a 100% centrally-sponsored initiative, but starting from the financial year 2015-16, the funding has been shared between the Central and State governments in a 60:40 ratio.
  यह योजना मूल रूप से 100: केंद्र प्रायोजित पहल थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2015–16 से शुरू होकर, वित्त पोषण को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया गया है।
- Around 800,000 kilometres of rural roads have been built and 180,000 habitations were connected under various phases of the PMGSY scheme.
  पीएमजीएसवाई योजना के विभिन्न चरणों के तहत लगभग 800,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं और 180,000 बस्तियों को जोड़ा गया है।

September 19, 2024

Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan:
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियानः

- The Union cabinet recently extended the PM-AASHA price support scheme in agriculture till 2025-26.It is an umbrella scheme aimed at ensuring remunerative prices to the farmers for their produce.
  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषि में पीएम–आशा मूल्य समर्थन योजना को 2025–26 तक बढ़ा दिया है। यह एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।

September 19, 2024

Swabhav Swachhata Sanskaar Swachhata (4S):

स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता (4):

Swabhav Swachhata Sanskaar Swachhata (4S) 2024 campaign was initiated in New Delhi as the theme of Swachh Bharat Mission (SBM) 2024. स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता (4) 2024 अभियान स्वच्छ भारत मिशन (ठड) 2024 की थीम के रूप में नई दिल्ली में शुरू किया गया था।

- Under this, the Central Government is aiming for the time-bound and targeted transformation of highly challenging and unsanitary locations. इसके तहत केंद्र सरकार अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और अस्वच्छ स्थानों के समयबद्ध और लक्षित परिवर्तन का लक्ष्य लेकर चल रही है।

September 19, 2024

- A key highlight of the campaign is the introduction of Cleanliness Target Units (CTUs) which entails the identification and mapping of these units through a dedicated portal.
  अभियान का मुख्य आकर्षण स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (सीटीयू) की शुरूआत है जिसमें एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से इन इकाइयों की पहचान और मानचित्रण शामिल है।
- Three Pillars of 4S 2024 Campaign:
  4एस 2024 अभियान के तीन स्तंभ:
- Swachhata Ki Bhaagidari: Public participation, awareness, and advocacy for Swachh Bharat.
  स्वच्छता की भागीदारी: स्वच्छ भारत के लिए सार्वजनिक भागीदारी, जागरूकता और वकालत।

CURRENT AFFAIRS

September 19, 2024

- Sampoorna Swachhata: Mega cleanliness drives targeting difficult and dirty spots (Cleanliness Target Units).
  संपूर्ण स्वच्छता: कठिन और गंदे स्थानों (स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों) को लक्षित करते हुए मेगा स्वच्छता अभियान।
- SafaiMitra Suraksha Shivir: Single-window service, safety, and recognition camps for sanitation workers' welfare and health.
  सफाईमित्र सुरक्षा शिविर: सफाई कर्मचारियों के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए एकल–खिड़की सेवा, सुरक्षा और मान्यता शिविर।

September 19, 2024

- Swachh Bharat Mission (SBM): The initiative aspires to engender a transformative shift towards fostering sustainable behavioral change, embedding cleanliness into daily routines, and promoting widespread public participation in upholding a clean and healthy environment.
  स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम): यह पहल स्थायी व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने, दैनिक दिनचर्या में स्वच्छता को शामिल करने और स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण को बनाए रखने में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की आकांक्षा रखती है।

September 19, 2024

- **Bio-RIDE Scheme:** बायो–राइड योजनाः
- The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister of India approved continuation of the two umbrella schemes of Department of Biotechnology (DBT), merged as one scheme-'Biotechnology Research Innovation and Entrepreneurship Development (Bio- RIDE).
  भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की दो छत्र योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी, जिन्हें एक योजना– 'जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो–राइड)' के रूप में विलय कर दिया गया।

September 19, 2024

- It is designed to foster innovation, promote bio-entrepreneurship, and strengthen India's position as a global leader in biomanufacturing and biotechnology.
  इसे नवाचार को बढ़ावा देने, जैव–उद्यमिता को बढ़ावा देने और जैव–विनिर्माण और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है।

September 19, 2024

- It aims to accelerate research, enhance product development, and bridge the gap between academic research and industrial applications. इसका उद्देश्य अनुसंधान में तेजी लाना, उत्पाद विकास को बढ़ाना और अकादमिक अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच अंतर को पाटना है।
- The scheme has three broad components:
  इस योजना के तीन व्यापक घटक हैं:
- Biotechnology Research and Development (R&D);
  जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)य
- Industrial & Entrepreneurship Development (I&ED)
  औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास (प्—म्क)

September 19, 2024

- Biomanufacturing and Biofoundry (New component under this new scheme)
  बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री (इस नई योजना के तहत नया घटक)
- It is part of the Government of India's mission to harness the potential of bio-innovation to tackle national and global challenges such as healthcare, agriculture, environmental sustainability, and clean energy.
  यह स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा जैसी राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जैव–नवाचार की क्षमता का दोहन करने के भारत सरकार के मिशन का हिस्सा है।

September 19, 2024

- Funding and Time period: The proposed outlay for the implementation of the unified scheme 'Bio-RIDE' is Rs.9197 crore during the 15th finance Commission period from 2021-22 to 2025-26.
  फंडिंग और समय अवधिः 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021–22 से 2025–26 के दौरान एकीकृत योजना 'बायो–राइड' के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 9197 करोड़ रुपये है।
- Implementation of Bio-RIDE Scheme will nurture a thriving ecosystem for startups by providing seed funding, incubation support, and mentorship to bio-entrepreneurs.
  बायो–राइड योजना का कार्यान्वयन बायो–उद्यमियों को सीड फंडिंग, इनक्यूबेशन सपोर्ट और मेंटरशिप प्रदान करके स्टार्टअप्स के लिए एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करेगा।

September 19, 2024

- It will offer grants and incentives for cutting-edge research and development in areas like synthetic biology, biopharmaceuticals, bioenergy, and bioplastics
  यह सिंथेटिक बायोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायोएनर्जी और बायोप्लास्टिक्स जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान और प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- It will create synergies between academic institutions, research organizations, and industry to accelerate the commercialization of bio-based products and technologies.
  यह जैव–आधारित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण में तेजी लाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और उद्योग के बीच तालमेल बनाएगा।

September 19, 2024

- A significant focus will be placed on promoting environmentally sustainable practices in biomanufacturing, aligned with India's green goals.

  भारत के हरित लक्ष्यों के अनुरूप, जैव विनिर्माण में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा।

September 19, 2024

- It will play critical role in advancing scientific research, innovation, and technological development across diverse fields of biotechnology by supporting extramural funding to research institutions, universities, and individual researchers in areas such as agriculture, healthcare, bioenergy, and environmental sustainability.
  यह कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, जैव ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और व्यक्तिगत शोधकर्ताओं को अतिरिक्त वित्त पोषण का समर्थन करके जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

September 19, 2024

- It will provide holistic development and support to students, young researchers and scientists working in the multidisciplinary areas of Biotechnology.
  यह जैव प्रौद्योगिकी के बहु–विषयक क्षेत्रों में काम करने वाले छात्रों, युवा शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को समग्र विकास और सहायता प्रदान करेगा।

September 22, 2024

- **Vivad Se Vishwas Scheme 2024:** विवाद से विश्वास योजना 2024:
- The second edition of the Direct Tax Vivad se Viswas scheme 2024 (VSV 2.0) will be operational soon, the Finance Ministry has said in a notification. वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 (वीएसवी 2.0) का दूसरा संस्करण जल्द ही चालू होगा।
- The scheme aims to reduce ongoing litigations related to income tax. इस योजना का उद्देश्य आयकर से संबंधित चल रहे मुकदमों को कम करना है।
- VSV 2.0 will enable taxpayers and the Income Tax Department to resolve disputes through a streamlined appeals process. वीएसवी 2.0 करदाताओं और आयकर विभाग को एक सुव्यवस्थित अपील प्रक्रिया के माध्यम से विवादों को हल करने में सक्षम करेगा।

September 22, 2024

- It will provide a mechanism for filing appeals across various appellate forums, including the Joint Commissioner of Income-tax (Appeals), the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), and higher courts. यह संयुक्त आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), और उच्च न्यायालयों सहित विभिन्न अपीलीय मंचों पर अपील दायर करने के लिए एक तंत्र प्रदान करेगा।
- The scheme covers appeals, writ petitions, and special leave petitions pending as of July 22, 2024, and will waive penalties and interest for settlements, ensuring no prosecution will be initiated for cases resolved under the scheme. इस योजना में 22 जुलाई, 2024 तक लंबित अपील, रिट याचिकाएं और विशेष अनुमति याचिकाएं शामिल हैं, और निपटान के लिए जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि योजना के तहत हल किए गए मामलों के लिए कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जाएगा।

September 22, 2024

- The scheme also covers cases with objections filed before the Dispute Resolution Panel (DRP) where no final assessment order has been issued and pending revision applications before the Commissioner.
  यह योजना विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के समक्ष दायर आपत्तियों वाले मामलों को भी कवर करती है, जहां कोई अंतिम मूल्यांकन आदेश जारी नहीं किया गया है और आयुक्त के समक्ष संशोधन आवेदन लंबित हैं।
- However, certain cases are excluded from eligibility, including those involving searches, prosecutions, and undisclosed foreign income.
  हालाँकि, कुछ मामलों को पात्रता से बाहर रखा गया है, जिनमें तलाशी, अभियोजन और अघोषित विदेशी आय से जुड़े मामले शामिल हैं।

September 22, 2024

- Taxpayers under specific legal restrictions or serious offenses will also not benefit from the scheme.
  विशिष्ट कानूनी प्रतिबंधों या गंभीर अपराधों के तहत करदाताओं को भी योजना से लाभ नहीं मिलेगा।

September 22, 2024

- The primary goal of VSV 2.0 is to provide a cost-effective mechanism for settling disputed issues, thereby alleviating the burden of litigation on taxpayers and the judicial system.
  वीएसवी 2.0 का प्राथमिक लक्ष्य विवादित मुद्दों को निपटाने के लिए एक लागत प्रभावी तंत्र प्रदान करना है, जिससे करदाताओं और न्यायिक प्रणाली पर मुकदमेबाजी का बोझ कम हो सके।

CURRENT AFFAIRS

September 24, 2024

- **PM Vishwakarma Scheme : In News** पीएम विश्वकर्मा योजनाः चर्चा में
  - Prime Minister Narendra Modi recently spoke to a group of artisans at an event celebrating the anniversary of the PM Vishwakarma Yojana. The event took place at the Swavalambai ground in Wardha, where the Prime Minister encouraged artisans to explore business opportunities and entrepreneurship.The PM Vishwakarma Yojana is a government program aimed at improving the productivity and success of people involved in traditional occupations like handicrafts and small-scale industries. Since its launch, the scheme has helped more than 6.5 lakh (650,000) artisans by giving them modern machinery and toolkits to improve their work.

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ मनाने वाले एक कार्यक्रम में कारीगरों के एक समूह से बात की। यह कार्यक्रम वर्धा के स्वावलंबई मैदान में हुआ, जहां प्रधान मंत्री ने कारीगरों को व्यापार के अवसरों और उद्यमशीलता का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम विश्वकर्मा योजना एक सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हस्तशिल्प और छोटे–छोटे पारंपरिक व्यवसायों में शामिल लोगों की उत्पादकता और सफलता में सुधार करना है। पैमाने के उद्योग. अपनी शुरुआत के बाद से, इस योजना ने 6.5 लाख (650,000) से अधिक कारीगरों को उनके काम को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक मशीनरी और टूलकिट देकर मदद की है।

THE TUTORS ACADEMY

September 24, 2024

PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan:

पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानः

The Union Cabinet approved Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan (PMJUGA) for improving the socio-economic condition of tribal communities.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएमजेयूजीए) को मंजूरी दे दी।

- PMJUGA is a centrally sponsored scheme for the welfare of tribal families in tribal-majority villages and aspirational districts.
  पीएमजेयूजीए आदिवासी–बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के कल्याण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

September 24, 2024

- It will cover 549 districts and 2,740 blocks spread across all tribal majority villages across 30 States/UTs. यह 30 राज्योंध्केंद्रशासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गांवों में फैले 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों को कवर करेगा।
- It will cover around 63,000 villages benefitting more than 5 crore tribal people. यह लगभग 63,000 गांवों को कवर करेगा जिससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
- According to the 2011 Census, India has a Scheduled Tribe (ST) population of 10.42 crore (8.6%), consisting of over 705 tribal communities. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी 10.42 करोड़ (8.6:) है, जिसमें 705 से अधिक आदिवासी समुदाय शामिल हैं।

September 24, 2024

- It envisions fulfilling critical gaps in social infrastructure like health, education, livelihood, through different schemes of Government of India by convergence and outreach. यह भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अभिसरण और आउटरीच के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को पूरा करने की कल्पना करता है।
- It comprises 25 interventions which will be implemented by 17 ministries through funds allocated to them under the Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST) in the next 5 years to achieve the following goals. इसमें 25 हस्तक्षेप शामिल हैं जिन्हें निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत आवंटित धन के माध्यम से 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

September 25, 2024

Integrated Development of Wildlife Habitat Scheme:
वन्यजीव पर्यावास योजना का एकीकृत विकासः

The Union Cabinet approved continuation of the Integrated Development of Wildlife Habitats for the 15th Finance Commission cycle. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास को जारी रखने की मंजूरी दे दी।

- Integrated Development of Wildlife Habitat Scheme is a Centrally Sponsored Scheme launched by the union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
  वन्यजीव पर्यावास योजना का एकीकृत विकास केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

September 25, 2024

- It has been made operational by adding more components and activities to the erstwhile Centrally Sponsored Scheme – "Assistance for the Development of National Parks and Sanctuaries" during the 11th Plan Period. इसे 11वीं योजना अवधि के दौरान पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना – ''राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता'' में और अधिक घटकों और गतिविधियों को जोड़कर चालू किया गया है।
- It envisages boosting technological interventions in different thematic areas over the current and next financial year in tiger and other wildlife habitats.
  इसमें बाघ और अन्य वन्यजीव आवासों में वर्तमान और अगले वित्तीय वर्ष में विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में तकनीकी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

September 25, 2024

- Under this scheme 55 tiger reserves, 33 elephant reserves and 718 protected areas and their zones of influence stand to benefit.
  इस योजना के तहत 55 बाघ अभयारण्य, 33 हाथी अभयारण्य और 718 संरक्षित क्षेत्र और उनके प्रभाव क्षेत्र लाभान्वित होंगे।
- Support to Protected Areas (National Parks, Wildlife Sanctuaries, Conservation Reserves and Community Reserves) संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व) को सहायता
- Protection of Wildlife Outside Protected Areas
  संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों का संरक्षण
- Recovery programmes for saving critically endangered species and habitats गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों और आवासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम

September 25, 2024

SPICED Scheme: मसालेदार योजनाः

- The Union Ministry of Commerce and Industry has approved a Spices Board scheme, 'Sustainability in the spice sector through progressive, innovative and collaborative interventions for export development' (SPICED) scheme.
  केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मसाला बोर्ड योजना, 'निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगी हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता' (चप्बम्क) योजना को मंजूरी दे दी है।

CURRENT AFFAIRS

September 25, 2024

- SPICED Scheme is aimed at significantly enhancing the export of spices and value- added spice products as well as improving the productivity of cardamoms and upgrading the post-harvest quality of spices across India for export.
  ˋच्ब्म्क योजना का उद्देश्य मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है, साथ ही इलायची की उत्पादकता में सुधार करना और निर्यात के लिए पूरे भारत में मसालों की कटाई के बाद की गुणवत्ता को उन्नत करना है।
- It is implemented during the remaining term of the 15th Finance Commission, up to 2025-26.
  इसे 15वें वित्त आयोग के शेष कार्यकाल 2025–26 तक लागू किया गया है।

September 25, 2024

- Key highlights of the Scheme:
  योजना की मुख्य विशेषताएं:
- It is expected to facilitate value addition and to drive innovation and sustainability in the spice sector by introducing new sub-components/programs like the Mission Value Addition, Mission Clean and Safe Spices, promotion of GI spices, support for entrepreneurship through Spice Incubation Centres, etc.
  मिशन मूल्य संवर्धन, मिशन स्वच्छ और सुरक्षित मसालों, जीआई मसालों को बढ़ावा देने, मसाला ऊष्मायन केंद्रों के माध्यम से उद्यमिता के लिए समर्थन जैसे नए उप–घटकोंध्कार्यक्रमों को शुरू करके मूल्य संवर्धन की सुविधा प्रदान करने और मसाला क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने की उम्मीद है। वगैरह।

September 25, 2024

- The scheme gives thrust on farmers groups / FPOS / Farmers Clusters identified under ODOP and DEH, SC/ST community, Exporters from NE region, and SMEs. यह योजना ओडीओपी और डीईएच, एससीध्एसटी समुदाय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्यातकों और एसएमई के तहत पहचाने गए किसान समूहोंध्एफपीओएसधकिसान समूहों पर जोर देती है।
- While exporters with a valid Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) are eligible for assistance under these programs, preference will be given to first-time applicants, Small and Medium Enterprises (SMEs), etc. जबकि मसालों के निर्यातक (सीआरईएस) के रूप में पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र वाले निर्यातक इन कार्यक्रमों के तहत सहायता के लिए पात्र हैं, पहली बार आवेदकों, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।

September 25, 2024

- The programs under the components such as Improving the productivity of cardamom and Post-harvest quality upgradation of spices are specifically designed to empower farmer groups, including Farmer Producer Organizations (FPOs), Farmer Producer Companies (FPCs), and Self-Help Groups (SHGs) in key spice-growing regions.
इलायची की उत्पादकता में सुधार और मसालों की कटाई के बाद गुणवत्ता उन्नयन जैसे घटकों के तहत कार्यक्रम विशेष रूप से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) सहित किसान समूहों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।) प्रमुख मसाला उगाने वाले क्षेत्रों में।

September 25, 2024

- These groups will be prioritized for post-harvest improvement of spices, with targeted assistance provided to enhance creation of an exportable surplus of spices, in compliance with the applicable food safety and quality standards. Scheme activities will be geo-tagged and fund availability, status of applications under different components, list of beneficiaries, etc. will be published in the Board's website for better transparency.
इन समूहों को मसालों की कटाई के बाद सुधार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें लागू खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुपालन में मसालों के निर्यात योग्य अधिशेष के निर्माण को बढ़ाने के लिए लक्षित सहायता प्रदान की जाएगी। योजना की गतिविधियों को जियो–टैग किया जाएगा और बेहतर पारदर्शिता के लिए फंड की उपलब्धता, विभिन्न घटकों के तहत आवेदनों की स्थिति, लाभार्थियों की सूची आदि को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

September 26, 2024

Bana Kaih Scheme to support farmers and entrepreneurs:
किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना कैह योजना:

- Chief Minister Lalduhoma officially launched the state's new flagship initiative, the Hand Holding Scheme (Bana Kaih), during a ceremony held at Vanapa Hall. Aim & Objectives Effective Convergence of Actions Efficient Resource Mobilization & Allocation Establishing Progress Partners Gainful engagement of Youth Strengthening Support Institutions Comprehensive Service Delivery Scheme Design
  मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने वनापा हॉल में आयोजित एक समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर राज्य की नई प्रमुख पहल, हैंड होल्डिंग स्कीम (बाना काइह) की शुरुआत की। लक्ष्य और उद्देश्य कार्यों का प्रभावी अभिसरण, कुशल संसाधन जुटाना और आवंटन, प्रगति भागीदार स्थापित करना, युवाओं की लाभकारी भागीदारी, सहायता संस्थानों को मजबूत करना, व्यापक सेवा वितरण योजना डिजाइन

September 26, 2024

Wildlife Habitats Development Scheme:

वन्यजीव पर्यावास विकास योजना:

The Union Cabinet has approved the Integrated Development of Wildlife Habitats scheme for the 15th Finance Commission cycle.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास योजना को मंजूरी दे दी है।

- The scheme supports key initiatives like Project Tiger, Project Elephant, and Development of Wildlife Habitat.
  यह योजना प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और वन्यजीव आवास के विकास जैसी प्रमुख पहलों का समर्थन करती है।

September 26, 2024

- The initiative focuses on boosting technological interventions, including the use of AI, camera traps, and conservation genetics for wildlife monitoring.
  यह पहल तकनीकी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसमें वन्यजीव निगरानी के लिए एआई, कैमरा ट्रैप और संरक्षण आनुवंशिकी का उपयोग शामिल है।
- Additionally, it supports projects like Project Dolphin and Project Lion, leveraging advanced tools for species conservation.
  इसके अतिरिक्त, यह प्रजातियों के संरक्षण के लिए उन्नत उपकरणों का लाभ उठाते हुए प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन जैसी परियोजनाओं का समर्थन करता है।

September 26, 2024

- The scheme benefits 55 tiger reserves, 33 elephant reserves, and 718 protected areas, contributing to both wildlife conservation and climate resilience.

  इस योजना से 55 बाघ अभयारण्यों, 33 हाथी अभयारण्यों और 718 संरक्षित क्षेत्रों को लाभ मिलता है, जो वन्यजीव संरक्षण और जलवायु लचीलेपन दोनों में योगदान देता है।

September 30, 2024

Paryatan Mitra And Paryatan Didi Initiative: पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहलः

The Union Ministry of Tourism has launched a national responsible tourism initiative titled Paryatan Mitra and Paryatan Didi.
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल शुरू की है।

- The primary aim of this initiative is to elevate the overall experience for tourists in destinations, by having them meet 'tourist-friendly' people who are proud Ambassadors and Storytellers for their destination.
  इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य गंतव्यों में पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाना है, जिससे उन्हें 'पर्यटक–अनुकूल' लोगों से मिलवाया जा सके जो अपने गंतव्य के लिए गर्वित राजदूत और कहानीकार हैं।

September 30, 2024

- The vision of this initiative is to welcome one and all to experience Incredible India through Incredible Indians, thereby creating a more welcoming, hospitable, and memorable experience for tourists when in India.

  इस पहल का उद्देश्य अतुल्य भारतीयों के माध्यम से अतुल्य भारत का अनुभव करने के लिए सभी का स्वागत करना है, जिससे भारत में पर्यटकों के लिए अधिक स्वागत योग्य, मेहमाननवाज और यादगार अनुभव तैयार हो सके।

September 30, 2024

- Paryatan Mitra and Paryatan Didi were piloted in six tourist destinations across India: Orchha (Madhya Pradesh), Gandikota (Andhra Pradesh), Bodh Gaya (Bihar), Aizawl (Mizoram), Jodhpur (Rajasthan), and Sri Vijaya Puram (Andaman & Nicobar Islands).
  पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी को पूरे भारत में छह पर्यटन स्थलों में संचालित किया गया: ओरछा (मध्य प्रदेश), गांडीकोटा (आंध्र प्रदेश), बोधगया (बिहार), आइजोल (मिजोरम), जोधपुर (राजस्थान), और श्री विजया पुरम (अंडमान और निकोबार) द्वीप)

September 30, 2024

- Under this special emphasis is being placed on the training of women and youth to enable them to develop new tourism products & experiences like heritage walks, food tours, craft tours, nature treks, homestay experiences, and other innovative tourism products based on the potential of the destination. इसके तहत महिलाओं और युवाओं के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि वे हेरिटेज वॉक, फूड टूर, क्राफ्ट टूर, नेचर ट्रेक, होमस्टे अनुभव और क्षमता के आधार पर अन्य नवीन पर्यटन उत्पादों जैसे नए पर्यटन उत्पादों और अनुभवों को विकसित करने में सक्षम हो सकें। मंजिल।
- This training is driven by the 'Athithi Devo Bhava' philosophye treating tourists as honored guests.
  यह प्रशिक्षण पर्यटकों को सम्मानित अतिथि के रूप में मानने वाले 'अतिथि देवो भव' दर्शन से प्रेरित है।

September 30, 2024

- It is also envisioned that locals leverage these skills to obtain gainful employment going forward as homestay owners, food & cuisine experience providers, cultural guides, natural guides, adventure guides, and other roles in tourism.

  यह भी कल्पना की गई है कि स्थानीय लोग होमस्टे मालिकों, भोजन और व्यंजन अनुभव प्रदाताओं, सांस्कृतिक गाइड, प्राकृतिक गाइड, साहसिक गाइड और पर्यटन में अन्य भूमिकाओं के रूप में आगे चलकर लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए इन कौशल का लाभ उठा सकते हैं।

September 30, 2024

- Tourism-specific training is being followed by general training in digital literacy and digital tools to ensure that the experiences they create are discoverable and visible to tourists, nationally and globally.
  पर्यटन–विशिष्ट प्रशिक्षण के बाद डिजिटल साक्षरता और डिजिटल उपकरणों में सामान्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा बनाए गए अनुभव राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यटकों के लिए खोज योग्य और दृश्यमान हों।